न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
180/प्रा.पत्र/2017	13.04.2017	17.12.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

नारायण आ. भेरू जाति मीणा निवासी भारमल का खेडा मजरा गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 14.10.1977 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री कृष्ण दत्त दाधिच, अभि.।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी नारायण आ. भेरू जाति मीणा निवासी भारमल का खेड़ा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन ख.नं. 4120/415 रकबा 07 बीघा ग्राम गोठडा को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को दिनांक 14.10.1977 को ग्राम गोठडा में कृषि प्रयोजनार्थ ख. नं. 4120/415 रकबा 07 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था। आवंटी गैर खातेदार दर्ज है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर खाली है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों के

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटी का आवंटन भूमि पर लगातार आवंटन तिथि से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज है। पूर्व में भी तहसीलदार द्वारा यह कार्यवाही 14(4) भू–आवंटन खारिज करने हेतु पेश की गई थी। जिस पर भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2016 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। उक्त निर्णय के तथ्यों को छिपाकर तहसीलदार द्वारा पुनः यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू–आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी नारायण आ. भेरू जाति मीणा को ग्राम गोठड़ा में दिनांक 14.10.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ख. नं. 417 रकबा 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी तहसीलदार ने भी प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश की नकल पेश की गई है। जिसमें भी ख. नं. 417 रकबा 05 बीघा ग्राम गोठडा में अप्रार्थी को आवंटन होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली में भी ख. नं. 417 रकबा 05 बीघा ही आवंटन होना अंकित है जबकि तहसीलदार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में ख. नं. 4120/415 रकबा 07 बीघा का आवंटन होना बताया जाकर उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भू–आवंटन आदेश व भू–आवंटन पत्रावली में ख. नं. व रकबा में भिन्नता है। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार ने पूर्व में भी इस न्यायालय में पेश किया गया था जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2016 को किया गया था। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। पुनः तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र पूर्व के निर्णय के तथ्य को छुपाकर पुनः पेश किया गया है। अतः पुनः प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज.)